

UPLL010019902020



न्यायालय- अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), ललितपुर।

Special Sessions Case No -541/2020

राज्य प्रति दीपेन्द्र

मु.अ.सं.- 83/19

धारा 135 विद्युत अधिनियम

थाना-पाली, ललितपुर।

आदेश

06.12.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त **दीपेन्द्र** समक्ष न्यायालय जेर जमानत उपस्थित आया।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का सम्यक रूपेण परिशीलन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम का आरोप विरचित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध है।

अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम का आरोप विरचित किया जाता है। अभियुक्त ने लगाए गए आरोप से इंकार किया तथा विचारण करने की प्रार्थना की।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक.....को पेश हो। अभियोजन पक्ष नियत दिनांक को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 06.12.2023

(लोकेश कुमार),

अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश

(विद्युत अधिनियम), ललितपुर।

न्यायालय- अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), ललितपुर।

Special Sessions Case No -541/2020

राज्य प्रति दीपेन्द्र

मु.अ.सं.- 83/19

धारा 135 विद्युत अधिनियम

थाना-पाली, ललितपुर।

आरोप

मैं लोकेश कुमार, अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (E.C.Act)/(Electricity Act)ललितपुर आप अभियुक्त दीपेन्द्र के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित करता हूँ-

यह कि दिनांक 15.11.2019 को समय 14.45 बजे स्थान खेत अभियुक्त ग्राम राधापुर थाना पाली जिला ललितपुर में वादी अवर अभियन्ता द्वारा अपने हमराही कर्मचारीगण के साथ विद्युत चैंकिंग की गयी, तो आप कटिया डालकर अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करते हुये पाये गये। इस प्रकार आपका यह कृत्य धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको विनिर्दिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक 06.12.2023

(लोकेश कुमार),

अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश

(विद्युत अधिनियम), ललितपुर।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया उसने आरोप से इन्कार किया और विचारण किये जाने की याचना की गयी।

दिनांक 06.12.2023

(लोकेश कुमार),

अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश

(विद्युत अधिनियम), ललितपुर।